

(किराये पर प्राप्त की जाने वाली टैक्सी सेवाओं हेतु दर अनुबंध की निविदा)

1. पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद संस्थान, में समय-समय पर किराये से प्राप्त की जाने वाली टैक्सी सेवाओं का दर अनुबंध स्थानीय ट्रेलल्स एजेन्सी से किया जाना है । दरों के अनुबंध हेतु भारत सरकार के GEM पोर्टल के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है । भारत सरकार के GEM पोर्टल के माध्यम से निविदाएं प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार है :-

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की आरंभिक तिथि:-01.08.2023

निविदा प्रपत्र आनलाइन प्रस्तुत (अपलोड) करने की अंतिम तिथि:-22.08.2023

विवरण निम्नानुसार है :-


S.n.	Name Of Work	Remark
01	Vehicle Hiring Service - Per Vehicle-Day Basis - Sedan Local Plain; 80Kms X 08Hrs; Round Trip	As Per Required
02	Vehicle Hiring Service - Per Vehicle-Day Basis - Sedan Local extra Kms X 08Hrs; in Round Trip	As Per Required
03	Vehicle Hiring Service - Per Vehicle-Day Basis - Sedan Local extra Hrs; in Round Trip	As Per Required
04	Vehicle Hiring Service - Per Vehicle-Day Basis - innova Local Plain; 80Kms X 08Hrs; Round Trip	As Per Required
05	Vehicle Hiring Service - Per Vehicle-Day Basis - innova Local extra Kms X 08Hrs; in Round Trip	As Per Required
06	Vehicle Hiring Service - Per Vehicle-Day Basis - innova Local extra Hrs; in Round Trip	As Per Required

2. दर अनुबंध निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित होकर उपलब्ध है ।
3. दर अनुबंध निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है ।
4. इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन भारत सरकार के GEM पोर्टल के माध्यम से दर अनुबंध निविदा प्राप्त कर सकते है । तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक आनलाइन प्रस्तुत की जाना है ।
5. सफल निविदाकार से किया गया अनुबंध कार्य आदेश दिनांक से 01 वर्ष हेतु मान्य होगा तथा दोनों पक्षों की सहमति से समान शर्तों एवं दरों पर अनुबंध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी ।



निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।

7. सफल ई-निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में विगत वित्तीय वर्ष के आंकलन के आधार पर 3 प्रतिशत की राशि जमा करनी होगी। म0प्र0के लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को निष्पादन प्रतिभूति के भुगतान से छूट रहेगी। म0प्र0भंडार कय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित-2022 के प्रीवधानों अनुसार म0प्र0के लघु उद्यम तथा स्टार्टअपस को वरीयता प्रदान की जावेगी।
8. एल-1 फर्म को कार्य हेतु आदेश दिया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि में शर्तों का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से टैक्सी सेवाएं प्रदान नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टिंग करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही एल-1 फर्म से अनुबंध उपरांत किराये से प्राप्त टैक्सी सेवा अवधि में किसी प्रकार की दुर्घटना / दावा / वीमा इत्यादि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अनुबंधित फर्म की होगी।
9. निविदाकर्ता फर्म का गुमास्ता (स्थानीय स्तर का) संबंधित कार्य का होना तथा जीएसटी नं. होना अनिवार्य है।
10. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2021-22 का टर्न ओवर न्यूनतम रुपये 10 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
11. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल-02 निविदाकर्ता से अनुबंध किया जावेगा।
12. निविदाकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। इस संदर्भ में ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रुपये 100.00के नान जूडिशियल स्टाम्प पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।



3. दर अनुबंध-निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा। साथ ही म0प्र0भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित-2022 के प्रवधानों के अनुसार वित्तीय निविदा में प्राप्त दरों पर प्रति प्रस्ताव की मंजूरी भी रहेगी ।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा।
15. निविदाकर्ता फर्म के पास शासकीय संस्था में किराये से टैक्सी सेवा का कार्य अनुभव होना आवश्यक है ।
16. लघु उद्यम तथा स्टार्टअप संबधी शासकीय अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
17. दर अनुबंध तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल वांछित दस्तावेजों(चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार में क्षेत्र में लिया जावेगा ।
18. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी



पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल  
(किराये पर प्राप्त की जाने वाली टैक्सी सेवाओं हेतु दर अनुबंध की निविदा)  
(तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र )

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम-----
2. फर्म के मालिक का नाम----- पिता का नाम-----
3. वर्तमान निवास का पता-----
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर-----
5. GSTIN NO.-----
6. जीवित गुमास्ता नं.....दिनांक .....
7. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2021-22 का टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
8. जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
9. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
10. निविदाकर्ता फर्म के पास शासकीय संस्था मे किराये से टैक्सी सेवा संचालन का कार्य अनुभव होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
11. लघु उद्यम तथा स्टार्टअप संबंधी शासकीय अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-----


पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल  
(किराये पर प्राप्त की जाने वाली टैक्सी सेवाओं हेतु दर अनुबंध की निविदा)

## चैक-लिस्ट

क्रं.	दस्तावेजों के नाम	संलग्न हां/नहीं
1	गुमास्ता की छायाप्रति	
2	पैनकार्ड की छायाप्रति	
3	GSTIN. पंजीयन(जीवित) प्रमाण-पत्र की प्रति	
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख के साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर विवरणी की प्रति	
5	ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रु 100.00 के नान ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज्ड	
6	लघु उद्यम तथा स्टार्टअप संबंधी शासकीय अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।	
7	शासकीय संस्था मे किराये से टैक्सी सेवा का कार्य अनुभव	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....  
निविदाकर्ता का नाम.....  
फर्म का नाम ..  
पता.....  
मोबाइल नं.....